फार्म - एनबीएस 1ए

31 मार्च 20.. की स्थिति के अनुसार जमाराशियों की वार्षिक विवरणी

(सभी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाए)

फाईल संख्या	
पहचान संख्या	
कारोबार का स्वरूप	
जिला कूट	
राज्य कूट	
(भारिबैं द्वारा भरा जाएगा)	

कंपनी का नाम : . . . . . .

विवरणी भरने के संबंध में अनुदेश - साधारण

1. यह विवरणी 15 मई 1987 की अधिसूचना सं. डीएफसी.55/डीजी(ओ)-87 के पैरा(14) के अंतर्गत आनेवाली अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है। यह विवरणी 31 मार्च के बाद और हर हाल में 30 सितंबर तक वर्ष में एक बार **31 मार्च की स्थिति के संदर्भ में** भेजी जानी चाहिए, चाहे संबंधित कंपनी की वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख कुछ भी क्यों न हो। कंपनी के लेखा-परीक्षकों से, इसके साथ दिए गए फॉर्मेट के अनुसार एक प्रमाणपत्र इस विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। लेकिन, केवल **भाग-3** के संबंध में उक्त सूचना अद्यतन तुलन-पत्र के अनुसार परंतु इस विवरणी की तारीख से पहले की तारीख के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए।

   विशेष सूचना : *13-1-2000 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस 135/सीजीएम/(वीएसएनएम). 2000 के अनुसार, 31 मार्च 2001 को समाप्त अपने लेखा वर्ष से प्रत्येक वर्ष अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपने तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखे तैयार करेंगी। अतः 31 मार्च 2001 को समाप्त लेखा वर्ष से विवरणी के भाग-3 की सूचना चालू तुलन-पत्र की तारीख से होगी और इस प्रकार विवरणी की तारीख से मेल खानेवाली होगी।*

2. वार्षिक लेखों की लेखा-परीक्षा को अंतिम रूप देना/ पूरा करना जैसे किसी भी कारण के लिए इस विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलंब नहीं होना चाहिए। विवरणी का समेकन संबंधित कंपनी की लेखा-बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए और कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

3. खातों की संख्या वास्तविक आंकड़ों में दी जानी चाहिए, जबकि **जमाराशियों की राशियां लाख रुपयों में दर्शायी जानी चाहिए**। उक्त राशि निकटतम लाख रुपए में पूर्णांकित की जानी चाहिए। उदाहरण 4,56,100 रुपये की राशि 5 दर्शाई जानी चाहिए न कि 4.6 या 5,00,000 रुपए। उसी प्रकार 61,49,500 रुपये की राशि को 61 दर्शाया जाएगा, 61.5 या 61,00,000 नहीं।

4. उक्त विवरणी प्रबंधक (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 में यथा परिभाषित) द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए और यदि ऐसा कोई प्रबंधक नहीं है तो प्रबंध निदेशक अथवा संबंधित कंपनी के किसी ऐसे अधिकारी को हस्ताक्षर करना चाहिए जिसे निदेशक मंडल ने विधिवत् प्राधिकृत किया है और जिसके नमूना हस्ताक्षर इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा गया है। यदि नमूना हस्ताक्षर विनिर्दिष्ट कार्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उक्त विवरणी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और उसका नमूना हस्ताक्षर अलग से प्रस्तुत करना चाहिए।

5. विवरणी के किसी भाग/ मद में रिपोर्ट करने हेतु यदि कुछ नहीं है तो संबंधित भाग/ मद में ' खातों की संख्या' के लिए रखे स्तंभ में '***कुछ नहीं***' लिखा जाए और **राशि** के लिए रखे गए स्तंभ में ***00*** दर्शाया जाए।

6. इस विवरणी में उल्लिखित "सहायक कंपनियां" और 'एक ही समूह की कंपनियां' का आशय कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराएं क्रमशः 4 और 372(11) में दिए गए अर्थ में ही है जो कि 31 अक्तूबर 1998 को कंपनी अधिनियम में किए गए आशोधन के पहले दिखाई देता था।

7. यदि यह विवरणी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (इंटरनेट) से विनिर्दिष्ट वेब सर्वर को या फ्लापी डिस्क साइज 3.5) द्वारा भरी जा रही है तो उसकी विधिवत हस्ताक्षरित मुद्रित प्रति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।

<u>कंपनी प्रोफाइल</u>

<table>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">कंपनी का नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">पंजीकृत कार्यालय का पता</td><td colspan="3">पिन</td></tr>
<tr><td></td><td>फोन सं.</td><td></td><td>फैक्स सं.</td><td></td><td>ई-मेल पता</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">राज्य का नाम जहां कंपनी पंजीकृत है</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">कॉर्पोरेट/ प्रधान कार्यालय का पता</td><td colspan="3">पिन</td></tr>
<tr><td></td><td>फोन सं.</td><td></td><td>फैक्स सं.</td><td></td><td>ई-मेल पता</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="2">निगमन की तारीख</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">कारोबार शुरू होने की तारीख</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

7.	नाम और आवासीय पते : i) अध्यक्ष					
	ii) प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी					
8.	क्या यह एक सरकारी कंपनी है (कृपया टिक करें)		हां		नहीं	
9.	कंपनी की हैसियत (कृपया टिक करें) :					
		(i) पब्लिक लि.		(ii) डीम्ड पब्लिक		
		(iii) प्राइवेट लि.		(iv) संयुक्त उद्यम		
10.	कंपनी का वित्तीय वर्ष					
11.	कारोबार का स्वरूप					
12.	भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकरण की स्थिति i) पंजीकरण के प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई हो					

	ii)यदि पंजीकृत नहीं है तो क्या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत किया गया है/ विचाराधीन है।	
13.	शाखाओं/ कार्यालयों की संख्या (कृपया नोट 1 के अनुसार नीचे दिए गए फार्मेट में उसके नाम और पतों की सूची संलग्न करें)	
14.	यदि सहयोगी कंपनी है तो कृपया धारक कंपनी का नाम और पता बताएं	
15.	यदि कंपनी की सहायक कंपनियां/ सहयोगी कंपनियां हैं उनकी संख्या (कृपया नोट 2 में नीचे दिए गए फार्मेट में उनके नाम, पते, निदेशकों के नाम और कारोबारी कार्यकलापों के ब्योरों की सूची संलग्न करें)	
16.	यदि संयुक्त उद्यम है तो प्रवर्तक संस्था/ संस्थाओं के नाम और पते	
17.	कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक का पता और फोन संख्या	
18.	कंपनी के बैंकरों के नाम, पते और फोन संख्या	

नोट (1) : शाखाओं के ब्योरे प्रस्तुत करने का फार्मेट :

क्रम सं.	शाखा का नाम	खोलने की तारीख	पता	शहर	जिला	राज्य	जनता की जमाराशि
	शाखाओं की कुल सं.						सभी शाखाओं की जनता की कुल जमाराशि . . . . (राशि)
							.. . . . . (दिनांक) को तुलन पत्र के अनुसार जनता की कुल जमाराशि . . . . (राशि)

<u>नोट (2) : सहायक कंपनी के ब्योरे प्रस्तुत करने का फार्मेट</u>

क्रम सं.	सहायक कंपनी का नाम	पता	निदेशकों के नाम	कारोबार के क्रियाकलाप

भाग - 1

31 मार्च 200... को बकाया जमाराशियों का विवरण

(लाख रुपए में)

मद सं.	विवरण	मद कोड	बकाया प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (कृपया नोट 3 देखें)
1	अपरिवर्तनीय और विकल्पतः परिवर्तनीय डिबेंचरों/ बांडों के निर्गम द्वारा प्राप्त राशि (देखें नीचे नोट 1) : (i) जमानती (ii) बेजमानती	 111 112		
2	निम्नलिखित से प्राप्त जमाराशियां : (i) शेयरधारक (ii) अन्य	 113 114		
3	कुल (111 से 114 तक)	**110**		
4	विवरणी की तारीख को, परिपक्व परंतु दावा न की गई जमाराशियां	115		
5	परिपक्व परंतु दावा न की गई और परिपक्वता के वर्ष सहित सात वर्ष के लिए बकाया रही जमाराशियां	116		

नोट :

1. अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों/ बांडों के मामले में, अपरिवर्तनीय अंश इस मद के अंतर्गत शामिल किया जाए और परिवर्तनीय अंश भाग-2 की मद 4 में दर्शाया जाए।
2. भाग-1 में दर्शाई गई राशियां भाग-2 में नहीं दर्शायी जानी चाहिए।
3. मद 2 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि में प्रोद्भूत या जमाकर्ता को देय ब्याज शामिल किया जाना चाहिए।
4. मद 5 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि में प्रोद्भूत या जमाकर्ता को देय ब्याज, बोनस, प्रीमियम या अन्य लाभ सहित प्राप्त जमाराशियों की कुल राशि शामिल की जानी चाहिए।
5. उपर्युक्त मद 2 की कुल जमाराशियों में से जो जमाराशियां किसी योजना के तहत एकमुश्त और/या किस्तों में अंशदान के ज़रिए वसूल की जाती हैं उनका योजना-वार/ अवधि-वार निम्नलिखित विवरण दिया जाए।

भाग - 1 की मद 2 के तहत दर्शाई गई जमाराशियों का ब्यौरा

I. जमाराशियों का अवधि-वार ब्यौरा

प्रमाणपत्र की अवधि/मूल्यवर्ग	मद कूट	भाग - अ 15.5.1987 के पहले स्वीकृत जमाराशियां/ बेचे गए प्रमाणपत्र		भाग - आ 15.5.1987 को और उस दिन से 11.4.1993 तक स्वीकृत जमाराशियां/ बेचे गए प्रमाणपत्र		भाग - इ 12.4.1993 को या उसके बाद स्वीकृत जमाराशियां/ बेचे गए प्रमाणपत्र		कुल (अ + आ + इ)	
		बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(क) 5 वर्ष तक									
i) 5,000 तक	141								
ii) 5,001 - 10,000	142								
iii)10,001 - 15,000	143								
iv)15,001 - 25,000	144								
v) 25,001 - 50,000	145								
vi) 50,000 से ऊपर	146								
कुल	**140**								

(ख) 5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक									
i) 5,000 तक	151								
ii) 5,001 - 10,000	152								
iii)10,001 - 15,000	153								
iv)15,001 - 25,000	154								
v) 25,001 - 50,000	155								
vi) 50,000 से ऊपर	156								
कुल	**150**								
(ग) 7 वर्ष से अधिक									
i) 5,000 तक	161								
ii) 5,001 - 10,000	162								
iii)10,001 - 15,000	163								
iv)15,001 - 25,000	164								
v) 25,001 - 50,000	165								

vi) 50,000 से ऊपर	166								
कुल	**160**								
कुल जोड़ (140 + 150 + 160)	**170**								

II. जमाराशियों के ब्याज दर-वार ब्यौरे

प्रमाणपत्र की अवधि/ मूल्यवर्ग	मद कूट	ब्याज दर 4%	ब्याज दर 6%	ब्याज दर 6%	ब्याज दर 8%	ब्याज दर 10%	ब्याज दर 10 % से ऊपर	कुल
			30 जून 2000 से पहले स्वीकृत	30 जून 2000 के बाद स्वीकृत				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(क) 5 वर्ष तक								
i) 5,000 तक	141ए							
ii) 5,001 - 10,000	142ए							
iii)10,001 - 15,000	143ए							
iv)15,001 - 25,000	144ए							
v) 25,001 - 50,000	145ए							
vi) 50,000 से ऊपर	146ए							
कुल	**140ए**							

(ख) 5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक								
i) 5,000 तक	151ए							
ii) 5,001 - 10,000	152ए							
iii)10,001 - 15,000	153ए							
iv)15,001 - 25,000	154ए							
v) 25,001 - 50,000	155ए							
vi) 50,000 से ऊपर	156ए							
कुल	**150ए**							
(ग) 7 वर्ष से अधिक								
i) 5,000 तक	161ए							
ii) 5,001 - 10,000	162ए							
iii)10,001 - 15,000	163ए							
iv)15,001 - 25,000	164ए							
v) 25,001 - 50,000	165ए							
vi) 50,000 से ऊपर	166ए							
कुल	**160ए**							

कुल जोड़ (140ए + 150ए + 160ए)	**170ए**							

नोट :

1. स्तंभ 4, 6, 8 और 10 के तहत दर्शाई गई राशियां जारी प्रमाणपत्रों/ स्वीकृत जमाराशियों के मूल्यवर्गों का कुल होना चाहिए और इसमें जमाकर्ताओं को प्रोद्भूत या देय ब्याज, बोनस, प्रीमियम और अन्य लाभों का समावेश **नहीं** किया जाना चाहिए।

2. जारी प्रमाणपत्रों/ स्वीकृत जमाराशियों का अवधि-वार वर्गीकरण उनके मूलतः जारी/ स्वीकृत/ नवीकृत अवधियों के अनुसार किया जाना चाहिए, उन अवधियों के अनुसार नहीं जहां से जैसे 31 मार्च अर्थात् इस विवरणी की तारीख से उनको लागू होना है।

3. बचत योजनाओं के प्रकार, अंकित मूल्य, अवधि, संख्या और देय किस्तों की राशि और ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ, चाहे जिस किसी नाम से हो, के रूप में देय राशि के संक्षिप्त ब्यौरे संलग्नक/ संलग्नकों के रूप में दिए जाएं।

भाग - I की मद 2 में दर्शाई जमाराशियों के संबंध में चूक के ब्यौरे

विवरण	मद कूट	बकाया प्रमाणपत्रों की संख्या	अंकित मूल्य	31.3.20. . . को स्तंभ (3) के संबंध में जमाराशियों की कुल राशि
अ. कुल जमाराशियों में से				
i) वे जो परिपक्व हुई हैं/ देय हुई हैं परंतु उनका दावा नहीं किया गया है	181			
ii) वे जो परिपक्व हुई हैं/ देय हुई हैं/ अभ्यर्पित/ जिनका दावा किया गया लेकिन चुकौती नहीं हुई है				
क) वर्ष के प्रारंभ में बकाया	182			
ख) उक्त (क) में से वर्ष के दौरान चुकाई गई	183			
ग) वर्ष के दौरान परिपक्व/ अभ्यर्पित/ दावा की गई परंतु उक्त वर्ष में चुकाई नहीं गई अर्थात् वर्ष के दौरान वृद्धि	184			
घ) वर्ष के अंत में बकाया	185			
ङ) उक्त (घ) में से जो मुकदमेबाजी में फंसी हैं	186			
ख. कुल जमाराशियों में से				
i) वर्ष के दौरान बेचे गए/ जारी प्रमाणपत्र	187			
ii) वर्ष के दौरान नवीकृत/ पुनःप्रवर्तित प्रमाणपत्र	188			

नोट :

प्रत्येक जमाराशि की अदायगी न किए जाने के कारण तथा चुकौती के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी संलग्नक में दी जाए।

भाग - 2

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आइ (बीबी) के अनुसार जमाराशियों के रूप में न गिने जानेवाले छूट प्राप्त उधारों के विवरण

मद सं.	विवरण	मद कूट	खातों की संख्या	राशि
1.	बैंकों और अन्य विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधार	201		
2.	जमानत जमाराशियों के रूप में कंपनी के कर्मचारियों सेप्राप्त धन	202		
3.	कंपनी के कारोबार के दौरान खरीद, बिक्री या अन्य एजेंटों से प्राप्त धन या वस्तुओं या संपत्तियों की आपूर्ति के आदेशों पर या सेवाएं प्रदान करने के आदेशों पर प्राप्त अग्रिम	203		
4.	परिवर्तनीय डिबेंचरों/ बांडों के निर्गम द्वारा प्राप्त धन (भाग-1 की मद सं.1 भी देखें)	204		
5.	किसी शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर/ बाण्ड जिनका आबंटन विचाराधीन है, में अभिदान के रूप में प्राप्त राशि अथवा संस्था के अंतर्नियम के अनुसरण में शेयरों पर अग्रिम में मांग के रूप में प्राप्त राशि, जब तक ऐसी राशि कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अंतर्गत शेयरधारकों को प्रतिदेय नहीं है	205		
6.	कुल (201 से 205)	200		

भाग - 3

निवल स्वाधिकृत निधि

[विवरणी की तारीख की पूर्ववर्ती तारीख को अद्यतन तुलन पत्र अथवा विवरणी की तारीख को तुलन पत्र के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत करें]

[दिनांक .. . . को तुलनपत्र]

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1.	पूंजीगत निधियां :		
	(i) प्रदत्त ईक्विटी पूंजी	311	
	(ii) मुक्त आरक्षित निधियां*	312	
2.	**कुल (311+312) - ए**	**310**	
3.	(i) हानि का संचित शेष	321	
	(ii) आस्थगित राजस्व व्यय का शेष	322	
	(iii) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (कृपया स्पष्ट करें)	323	
4.	**कुल (321 से 323) - बी**	**320**	
5.	**स्वाधिकृत निधि अर्थात् सी=(310 - 320) अर्थात् (ए-बी)**	**330**	
6.	निम्नलिखित के शेयर में निवेश का बही मूल्य		
	(i) कंपनी की सहायक कंपनियां	341	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां	342	
	(iii) अन्य सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (संलग्नक सं. . . . . में ब्योरे दिए गए हैं)	343	
7.	निम्नलिखित के डिबेंचरों और बांडों का बही मूल्य		
	(i) कंपनी की सहायक कंपनियां	344	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां (संलग्नक सं. . . . में ब्योरे दिए गए हैं)	345	

8.	बकाया ऋण तथा अग्रिम (जिसमें अंतर-कंपनी जमाराशि, किराया-खरीद तथा पट्टेदारी वित्त शामिल हैं**)		
	(i) संबंधित कंपनी की सहायक कंपनियां	346	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां (संलग्नक . . . . में ब्योरे दिए गए हैं)	347	
9.	341 से 347 तक का कुल = **डी**	**340**	
10.	340 की राशि 330 के 10% से अधिक =**ई**	**350**	
11.	निवल स्वाधिकृत निधि (330-350) अर्थात् **एफ = (सी-ई)**	**300**	

टिप्पणी:

* यहां भाग 3 की मद 1 में उल्लिखित 'मुक्त आरक्षित निधियों' में शेयर प्रीमियम खाते की शेष राशि, पूंजी और डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधियां तथा तुलनपत्र में दर्शाई अथवा प्रकाशित की गई अन्य निधि जो लाभों के आबंटन (लाभ-हानि लेखे के ऋण शेष सहित) के माध्यम से निर्मित निधि शामिल हैं परंतु

(i) भविष्य की किसी देयता की चुकौती के लिए या परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के लिए या अनर्जक परिसंपत्तियों/ अशोध्य ऋणों के प्रावधान के लिए बनाई गई निधि नहीं हैं; या

(ii) संबंधित कंपनी की परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यन द्वारा निर्मित निधि नहीं है

** किराया खरीद ऋण आदि जोखिमों से तात्पर्य होगा किराये पर लिए स्टॉक में से अपरिपक्व वित्त प्रभारों को घटाना। 'पट्टा वित्त' का अर्थ होगा पट्टे पर परिसंपत्तियों का लिखित मूल्य / पट्टा समायोजन खाता।

भाग - 4

पूर्ववर्ती 30 सितंबर तथा 31 मार्च 20---, इस विवरण की तारीख

को जमाकर्ताओं के लिए जमानत से संबंधित विवरण

नामित बैंक तथा शाखा का नाम _____

मद सं.	विवरण		मद कूट	निर्देशों के प्रारंभ अर्थात् 15 मई 1987 के पूर्व		निर्देशों के प्रारंभ अर्थात् 15 मई 1987 के बाद	
				30.9.20....	31.3.20....	30.9.20....	31.3.20....
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	जमाराशियों की कुल रकम (कृपया टिप्पणी 1 देखें)						
2.	भारिबैं अधिनिम 1934 की धारा 45 आइबी के अनुसार अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश						
3.	**जमाराशियों के लिए जमानत** (किसी प्रकार के प्रभार अथवा ग्रहणाधिकार से मुक्त)						
	(क)	अनुसूचित वाणिज्य बैंक/ बैंकों तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र तथा मीयादी जमा राशियां	411				

	(ख)	केंद्र तथा/ अथवा राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड तथा उपर्युक्त 2 में रिपोर्ट की गई प्रतिभूतियों से अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश (बाज़ार मूल्य पर)	412				
	(ग)	निम्नलिखित के कम से कम एए+ या इसके समतुल्य साख श्रेणीवाले ऐसे डिबेंचर्स/ बांड/ वाणिज्य पत्र में निवेश (बाज़ार मूल्य पर)					
	i)	उसी समूह की कंपनियों/ सहायक कंपनियों से इतर कंपनियां	413				
	ii)	सरकारी कंपनी अथवा सरकारी क्षेत्र बैंक अथवा सरकारी वित्तीय संस्था अथवा केंद्र अथवा राज्य अधिनियमनों द्वारा स्थापित अथवा गठित कोई निगम	414				
	(घ)	निम्नलिखित की यूनिटों में निवेश (बाज़ार मूल्य पर)					

	i)	भारतीय यूनिट ट्रस्ट	415				
	ii)	सेबी द्वारा अनुमोदित अन्य म्युच्युअल फंड (म्युच्युअल फंड-वार आंकड़ों सहित	416				

टिप्पणियां :

1. 'जमाराशियों की कुल राशि' का अर्थ होगा, जमाकर्ताओं को देय अथवा उपचित ब्याज, बोनस, प्रीमियम अथवा अन्य लाभ सहित प्राप्त जमाराशियों की राशि। इस भाग की मद सं.1 के समक्ष स्तंभ 5तथा 7 के अंतर्गत राशियों का कुल योग, भाग-I की मद सं.2 से मेल खाना चाहिए।

2. यदि उपर्युक्त मद सं.3 (क) तथा 3(ख) के समक्ष निवेश, 15.5.1987 की अधिसूचना सं.डीएफसी.55/ डीजी(ओ)-87 के पैराग्राफ 6(क) तथा (ख) में निर्धारित न्यूनतम से कम हैं तो कंपनी को संलग्न पत्र में उसके कारण स्पष्ट करने होंगे।

3. उपर्युक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 6(3) के अनुसार जिस सरकारी क्षेत्र के बैंक को उपर्युक्त प्रतिभूतियां सौंपी गई हैं उसका नाम दें। यदि किसी बैंक को प्रतिभूतियां नहीं सौंपी हैं तो संलग्न पत्र में उसके कारण स्पष्ट करें।

4. कृपया उपर्युक्त मद सं.2 तथा 3 के समक्ष उल्लिखित मीयादी जमाराशियों/ प्रतिभूतियों के पूर्ण विवरण दें, तथा अनुबंध में उनके बही मूल्य तथा बाज़ार मूल्य (प्रतिभूतियों के मामले में) दर्शाएं। (अनुबंध सं. . .)

भाग - 5

बही मूल्य पर निवेशों को दर्शानेवाला विवरण

(भाग-3 की मद सं.6 तथा 7 में उल्लिखित निवेशों से इतर)

मद सं.	विवरण		मद कूट	राशि
1	कंपनियों के शेयर तथा कंपनियों द्वारा जारी डिबेंचर्स/ बांड तथा वाणिज्यिक पत्रों में निवेश तथा ऐसी फर्म्स तथा स्वामित्व प्रतिष्ठानों की पूंजी में अंशदान जहां कंपनी के निदेशकों ने पर्याप्त हित धारण किया है। (कृपया टिप्पणी देखें) (ब्योरे अनुबंध सं. . . . . में)		511	
2	अन्य कंपनियों के शेयर, डिबेंचर्स/ बांड तथा वाणिज्यिक पत्र		512	
3	अन्य निवेश			
	(i)	बैंकों में मीयादी जमाराशियां/ बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र (भाग-4 में सम्मिलित से अन्य)	513	
	ii)	बैंक(बैंकों) में किसी अन्य जमा खातों में शेष	514	
	iii)	अन्य (कृपया बही मूल्य तथा बाज़ार मूल्य को दर्शानेवाली सूची प्रस्तुत करें)	515	
4.	कुल (513 से 515)		520	
5.	कुल योग (511+512+520)		500	

टिप्पणियां

1. 'पर्याप्त हित' का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी/ पति अथवा नाबालिग बच्चे द्वारा या तो एकल रूप में या साथ मिलकर, किसी कंपनी के शेयरों में लाभदायी हित के रूप में उतनी राशि की अदायगी जो कंपनी की प्रदत्त पूंजी अथवा किसी भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त कुल पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है।

2. निवेश खाते अथवा स्टाक इन ट्रेड के रूप में रखे गए शेयर, डिबेंचर तथा वाणिज्यिक पत्रों के ब्यौरे इस भाग में शामिल करें।

3. कंपनियों के पास मीयादी जमाराशियों को यहां शामिल **न** करें बल्कि भाग 3 तथा 6 में दर्शाएं।

भाग - 6

बकाया ऋण निवेश अर्थात् ऋण तथा अग्रिम, किराया खरीद तथा उपकरण पट्टा, बिल भुनाई, अंतर-कंपनी जमाराशियां (भाग-3 की मद 8 में उल्लिखित से अन्य) दर्शानेवाला विवरण

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1.	ऐसी कंपनियां, फर्में तथा स्वामित्व कंपनियां जिनमें कंपनी के निदेशकों के पर्याप्त हित हैं (कृपया भाग-5 की टिप्पणी-1 देखें) ब्योरे संलग्नक सं. . . . . में हैं	601	
2.	अन्य :		
	(i) उसी समूह से इतर कंपनियां	611	
	(ii) निदेशक	612	
	(iii) शेयरधारक	613	
	(iv) मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य कर्मचरी	614	
	(v) क्रेता, विक्रेता तथा अन्य एजेंट	615	
	(vi) जमाकर्ता	616	
	(vii) अन्य	617	
3.	कुल (611 से 617)	620	
4.	कुल योग (601 + 620)	**600**	

टिप्पणी :

विविध देनदार, अग्रिम अदा किया गया कर तथा अन्य वसूली योग्य मदें जो ऋण तथा अग्रिम प्रकृति की नहीं है, इन्हें इस विवरण में न दर्शाएं।

भाग - 7

31 मार्च 20. . . को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार आंकड़ें / सूचना

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1	***I. संवितरण (निधि-आधारित गतिविधियां) :*** उपकरण पट्टेदारी :		
	क. विवरणी की तारीख को बकाया शेष	701	
	ख. वर्ष के दौरान कुल संवितरण	702	
2	किराया खरीद :		
	क. विवरणी की तारीख को बकाया शेष	703	
	ख. वर्ष के दौरान कुल संवितरण	704	
3	ऋण (क) कंपनियों को शेयरों की जमानत पर ऋण :		
	i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	705	
	ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	706	
	(ख) व्यक्तियों को शेयरों की जमानत पर ऋण :		
	i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	707	
	ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	708	
	(ग) दलालों को शेयरों की जमानत पर ऋण		
	i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	709	
	ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	710	
	(घ) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आइपीओ) के वित्तपोषण के लिए ऋण :		
	i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	711	
	ii) वर्ष केदौरान कुल संवितरण	712	
	(ङ) अंतर कंपनी ऋण/ जमाराशियां		
	i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	713	
	ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	714	
	(च) अन्य	715	

4.	खरीदे/ भुनाए गए बिल		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	716	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	717	
5.	उपर्युक्त 4 में से भुनाए गए बिल		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	718	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	719	
6.	**II. शेयरों/ प्रतिभूतियों में व्यापार (एसएलआर से इतर उद्धृत)** शेयर/ डिबेंचर/ वाणिज्यिक पत्रों की खरीद/ बिक्री क. खरीद	720	
	ख. बिक्री	721	
7.	***III. शुल्क आधारित गतिविधियां*** पूंजी बाज़ार में लेनदेन के लिए जारी गारंटियां : क. विवरणी की तारीख को बकाया शेष	722	
	ख. वर्ष के दौरान कुल मात्रा	723	
8.	अन्य प्रयोजनों से जारी की गई गारंटियां :		
	क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	724	
	ख) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	725	
9	वर्ष के दौरान सिंडिकेटेड पट्टा/ किराया खरीद	726	
10	वर्ष के दौरान सिंडिकेटेड ऋण/ अंतर-कंपनी जमाराशियां	727	
11	वर्ष के दौरान सिंडिकेटेड ऋण	728	
12	हामीदारी : (क) हामीदारी की कुल राशि	729	
	(ख) सौंपी गई राशि	730	
	(ग) बकाया बाध्यताएं	731	

भाग - 8

अतिदेयों की स्थिति

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1	12 महीने से अधिक पट्टा अतिदेय	801	
2	12 महीनों तक पट्टा अतिदेय	802	
3	12 महीनों से अधिक किराया खरीद अतिदेय	803	
4	12 महीनों तक किराया खरीद अतिदेय	804	
5	6 महीनों से अधिक अन्य अतिदेय	805	
6	6 महीनों तक के अन्य अतिदेय	806	
7	**कुल (801 से 806)**	**810**	

भाग - 9

चयनित आय तथा व्यय के मानदंडों का विवरण

(कृपया नीचे दिए गए अनुदेश देखें)

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
	निधि-आधारित आय :		
1	सकल पट्टा आय, यदि है	901	
2	पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति +/- पट्टा समकरण को घटाकर	902	
3	निवल पट्टा आय (901 - 902)	903	
4	किराया खरीद आय, यदि है	904	
5	बिलों की भुनाई से आय	905	
6	निवेश आय (क) मीयादी जमा/ जमा प्रमाणपत्रों से	906	
	(ख) सरकारी/ अनुमोदित प्रतिभूतियों से	907	
	(ग) अन्य निवेशों पर लाभांश/ ब्याज	908	

	(घ) शेयर/ डिबेंचर/ वाणिज्यिक पत्रों की बिक्री से लाभ/हानि (+/-)	909	
7	ब्याज आय (क) अंतर-कंपनी जमाराशियां/ ऋण	910	
	(ख) अन्य ऋण तथा अग्रिम	911	
	(ग) ब्रोशर आवेदन फार्म जारी करने के लिए तथा जमाकर्ता के खाते की सेवा के व्यय की लागत के प्रति नये जमाकर्ता/ अभिदाता से एक-बार प्रभार	912	
	(घ) बिल की भुनाई से आय (पुनः भुनाई प्रभारों का निवल)	913	
8	अन्य निधि-आधारित आय (कृपया स्पष्ट करें)	914	
9	कुलनिधि-आधारित आय **(903 से 914)**	**920**	
10	**<u>शुल्क आधारित आय</u>** मर्चंट बैंकिंग गतिविधियों से आय	921	
11	हामीदारी कमीशन	922	
12	बिलों, ऋण, अंतर-कंपनी जमाराशियों, पट्टा तथा किराया खरीद के सिंडिकेशन से आय	923	
13	विविध आय	924	
14	**कुल शुल्क आधारित आय (921 से 924)**	930	
15	**कुल आय (920 + 930)**	940	
16	**<u>ब्याज तथा अन्य वित्तपोषण लागत</u>** मीयादी जमा पर प्रदत्त ब्याज	941	
17	अंतर-कंपनी जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज	942	
18	दलाली/ एजेंट कमीशन	943	
19	दलालों/ एजेंट को व्यय की प्रतिपूर्ति	944	
20	अन्य वित्तपोषण लागत	945	

21	बिलों की पुनर्भुनाई के प्रभार	946	
22	**कुल वित्तपोषण लागत (941 से 946)**	950	
23	**<u>परिचालनगत व्यय</u>** कर्मचारी लागत	951	
24	अन्य प्रशासनिक लागत	952	
25	**कुल परिचालनगत व्यय (951 + 952)**	955	
26	स्वयं की परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास	956	
27	परिशोधित अमूर्त परिसंपत्तियां	957	
28	निवेशों के मूल्य में होनेवाली कमी के लिए प्रावधान	958	
29	अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	959	
30	अन्य प्रावधान यदि है	960	
31	**कुल व्यय (950 +955+956 से 960 तक)**	970	
32	**कर पूर्व लाभ (940 - 970)**	980	
33	**कर**	990	
34	**कर पश्चात् लाभ (980 - 990)**	900	

अनुदेश :

(1) इस भाग के विवरण पूरे वित्तीय वर्ष संबंधी होने चाहिए। यदि कंपनी अपनी बहियां 31 मार्च के अलावा किसी अन्य तारीख को बंद करती है तो बहियों को बंद करने की तारीख तथा अवधि दर्शाई जानी चाहिए।

(2) 'कुल पट्टा आय' में पट्टा किराया (रिबेट को घटाकर), पट्टा प्रबंधन शुल्क, पट्टा सेवा प्रभार, वैध शुल्क, पट्टाकृत परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ और पट्टा कारोबार संबंधी विलंबित/देरी से किए भुगतान पर प्रभार (किए गए/ अंतिम रूप दिए गए पट्टा करारों के संबंध में परिसंपत्तियों की खरीद के लिए दिए अग्रिम भुगतान पर लगाए ब्याज/ क्षतिपूर्ति प्रभार सहित) का समावेश है।

(3) 'पट्टा समकरण लेखे' का अर्थ वही है जो आइसीएआइ द्वारा जारी पट्टे संबंधी लेखाकरण पर मार्गदर्शी नोट (संशोधित) में दिया गया है।

(4) 'किराया खरीद आय' में वित्त प्रभार (रिबेट को घटाकर), किराया सेवा प्रभार, विलंबित/ देरी से किए गए भुगतान पर प्रभार, वैध शुल्क और किराया खरीद कारोबार से संबंधित अन्य आय (अभिनिर्धारित किरायेदारों के लिए किराया खरीद परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु अग्रिम भुगतान पर अर्जित ब्याज सहित) शामिल है।

प्रमाणपत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निहित निदेशों का पालन किया जा रहा है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी में प्रस्तुत विवरण/ जानकारी सत्यापित की गई है और सभी प्रकार से सही और संपूर्ण पाई गई है।

प्रबंधक/ प्रबंध निदेशक/

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने इस विवरणी में प्रस्तुत सूचना के संबंध में _____ कंपनी लि. द्वारा रखी गई लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों की जांच की है और हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेखों में दी गई सूचना के अनुसार इस विवरणी में प्रस्तुत जानकारी सही है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : सनदी लेखाकार का नाम

विवरणी के संलग्नक :

1. निम्नलिखित दस्तावेज़ यदि पहले नहीं भेजे गए हैं तो विवरणी के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जो दस्तावेज़ संलग्न किए गए हैं उनकी मदों के सामने बॉक्स में कृपया निशान (टिक) लगाएं और अन्य मामलों में उनके प्रस्तुतीकरण की तारीख लिखें।

   (i) विवरणी की तारीख के निकटतम तारीख के लेखा-परीक्षित तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखे की एक प्रति

   (ii) नमूना हस्ताक्षर कार्ड

   (iii) दिनांक 15 मई 1987 की अधिसूचना सं. डीएफसी.55/ डीजी(ओ)-87 के पैरा 8 में निर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र की एक प्रति

2. संलग्न फॉर्म में प्रधान अधिकारियों और निदेशकों के नाम और पते की एक सूची इस विवरणी के साथ भेजी जानी है।

भाग - 10

---------- लि. के प्रधान अधिकारियों और निदेशकों की सूची

I. प्रधान अधिकारी

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पता और टेलीफोन सं.	यदि किसी कंपनी/ किन्हीं कंपनियों में निदेशक हैं तो कंपनी/ कंपनियों के नाम

II. निदेशक

क्रम सं.	नाम	पदनाम	निदेशक, उसकी पत्नी/ उसके पति और अवयस्क बच्चों की कंपनी के ईक्विटी शेयरों में धारिता का %	अन्य कंपनियों के नाम जहां वह निदेशक हैं

प्रबंधक/ प्रबंध निदेशक/ प्राधिकृत

पदाधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :_____

पदनाम :_____

स्थान : _____

दिनांक : _____